कार्यालय चयन समिति, जनपद न्यायालय, गोरखपुर।

विज्ञप्ति

जनपद न्यायालय, गोरखपुर में संविदा के आधार पर ई–सेवा केन्द्र के समुचित प्रबन्धन हेतु कर्मचारी के एक पद पर चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। कर्मचारी का उक्त पद विशुद्ध रूप से अस्थाई है तथा संविदा के आधार पर मात्र एक वर्ष हेतु नियुक्त किया जायेगा। नियुक्त अभ्यर्थी को मात्र रू0 15,000 /–प्रतिमाह नियत मानदेय प्रदान किया जायेगा, जिस पर कोई अतिरिक्त भत्ता आदि देय नहीं होगा। नियुक्त अभ्यर्थी की सेवा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

चयन हेतु निर्धारित अर्हताएँ व शर्तें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाईट **www.allahabadhighcourt.in** एवं जनपद न्यायालय, गोरखपुर की आधिकारिक वेबसाईट **https://districts.ecourts.gov.in/gorakhpur** पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त नियुक्ति से सम्बन्धित अन्य विवरण न्यायालय के सूचना पट्ट /केन्द्रीय नजारत से किसी भी कार्य दिवस पर प्राप्त की जा सकती है।

16/11/21

(सत्यानंद उपाध्याय)
वरिष्ठ सदस्य चयन समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.-01,
गोरखपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित।

1. नाजिर, आयुक्त कार्यालय, गोरखपुर।
2. नाजिर, सदर कलेक्ट्रेट, गोरखपुर।
3. नाजिर, तहसील सदर, गोरखपुर।
4. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, गोरखपुर।
5. मुख्य विकास अधिकारी, विकास भवन, गोरखपुर।
6. जिला सूचना अधिकारी, गोरखपुर में समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
7. जिला सेवायोजन अधिकारी, गोरखपुर।
8. सूचना पट्ट, जनपद न्यायालय, गोरखपुर पर चस्पा करने हेतु।
9. रेलवे जंक्शन, गोरखपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
10. बस स्टेशन, गोरखपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
11. सिस्टम ऑफिसर, जनपद न्यायालय, गोरखपुर को माननीय उच्च न्यायालय एवं जनपद न्यायालय, गोरखपुर की आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

कार्यालय चयन समिति, जनपद न्यायालय, गोरखपुर।

जनपद न्यायालय, गोरखपुर में ई–सेवा केन्द्र के संचालन हेतु संविदा के आधार पर कर्मचारी की नियुक्ति हेतु समान्य निर्देश।

जनपद न्यायालय, गोरखपुर में संविदा के आधार पर ई–सेवा केन्द्र के समुचित प्रबन्धन हेतु कर्मचारी के एक पद पर चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। कर्मचारी का उक्त पद विशुद्ध रूप से अस्थाई है तथा संविदा के आधार पर मात्र एक वर्ष हेतु नियुक्ति किया जायेगा। नियुक्त अभ्यर्थी को मात्र रू0 15,000 /–प्रतिमाह नियत मानदेय प्रदान किया जायेगा, जिस पर कोई अतिरिक्त भत्ता आदि देय नहीं होगा। नियुक्त अभ्यर्थी की सेवा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

नियुक्ति हेतु अन्य नियम एवं शर्तें निम्नवत है–

1. कर्मचारी के उक्त पद पर नियुक्ति के लिए आवेदक को देवनागरी लिपि में हिन्दी एवं अंग्रेजी लिखने व पढने का ज्ञान आवश्यक है। आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इण्टरमिडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
2. अभ्यर्थी को **DOEACC//NIELIT** से **"CCC"** परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
3. अभ्यर्थी को हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग की गति होना आवश्यक है।
4. कम्प्यूटर /इण्टरनेट चलाने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को वरियता दी जायेगी।
5. अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.07.2021 को 18 वर्ष कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
6. अभ्यर्थी को समस्त शैक्षिक योग्यता, जन्मतिथि एवं जाति प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित छायाप्रतियां आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
7. अभ्यर्थी को अपने अन्तिम शिक्षा संस्थान तथा अपने निवास क्षेत्र के दो संभ्रान्त व्यक्तियों द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण–पत्र प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
8. चयन हेतु साक्षात्कार की प्रकिया अपनायी जायेगी। अभ्यर्थी दिनांक **30.11.2021** को अपने सम्पूर्ण मूल अभिलेखों एवं प्रार्थना–पत्र के साथ प्रातः 10:00 बजे जनपद न्यायालय परिसर में उपस्थित होगें।
9. किसी भी तरह की सिफारिश अयोग्यता मानी जायेगी, जिसके आधार पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा।
10. अभ्यर्थी का चरित्र नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि के अधीन उत्तम होना आवश्यक है। नियुक्ति के समय अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसे विधि द्वारा स्थापित न्यायालय द्वारा किसी नैतिक अधमता के अपराध हेतु दण्डित नहीं किया गया है।
11. नियुक्त अभ्यर्थी को मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर द्वारा जारी स्वास्थ्यता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर नियुक्ति की तिथि से एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक है।
12. साक्षात्कार हेतु उपस्थित व्यक्तियों को किसी प्रकार का यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा।

दिनांक–16.11.2021

16.11.21

(मंगल देव सिंह)
सदस्य चयन समिति /
सिविल जज (सी0डि0),
गोरखपुर।

(सत्यानन्द उपाध्याय) 16/11/21
वरिष्ठ सदस्य, चयन समिति /
अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–01,
गोरखपुर।

16/11/21